

वलिफुल डफिल्टर टैग के बनिा बजिली कंपनयिाँ NCLT में शामलि नहिी होंगी

संदर्भ

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नरिणीत कयिा है कऱि एक बजिली कंपनी को ःण चुकाने के लयि तब तक दविलयिापन अदालत (bankruptcy court) में नहिी ले जाया जा सकता है जब तक कऱिसे वलिफुल डफिल्टर घोषति नहिी कयिा जाता है। न्यायालय ने वतित सचवि को जून में बजिली उत्पादकों से मलिकर उनसे बातचीत करने के नरिदेश दयि है ताकऱि वे वतितीय संकटों पर चर्चा कर सकें ।

महतत्वपूरण बदि

- यह नरिणय रजिस्व बैंक ऑफ इंडयिा (RBI) के फरवरी के नरिदेश के अनुपालन के क्रम में दयिा गया है जो कऱि ःणदाताओं को व्यतकिस्म के लयि 180 दनिों के भीतर संकटग्रस्त ःणों के समाधान के लयि कहता है, जसिमें वफिल होने पर कंपनी को नेशनल कंपनी लॉ ट्रबि्यूनल (NCLT) को संदर्भति कयिा जाना था ।
- यह बजिली क्षेत्र की कंपनयिों सहति सभी क्षेत्रों के लयि 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर के ःणों पर लागू था जो बजिली खरीद समझौतों (PPA) पर हस्ताक्षर करने में असमर्थता, सरकारी मंजूरी में देरी और कोयले की अनुपलब्धता जैसे कई कारकों के कारण पीड़ति थे ।
- एक वलिफुल डफिल्टर वह होता है जसिके पास ःण चुकाने की सामर्थ्य होती है फरि भी वह जानबूझकर ःण नहिी चुकाना चाहता।
- एसएमए -1 या एसएमए -2 श्रेणी में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक बकाया वाली कंपनयिों को वर्गीकृत कयिा गया है जसिका मतलब है कऱि उनहोंने देय तथि 30 से 60 दनिों के भीतर अपनी मासकि कसितों का भुगतान नहिी कयिा है।
- एसएमए का तात्पर्य वशिष उल्लेख खाते से है । अदालत के फेसले से बैंकों को संकटग्रस्त खातों के लयि समाधान खोजने को अधिक समय मलिया ।

स्थायी समति की रपिरट

- आरबीआई सर्कुलर ने 1 मार्च को 180 दनिों की अवधि के लयि संदर्भ तथिके रूप में नरिधारति कयिा था और इस प्रकार दविलयिापन अदालत के बाहर तनावग्रस्त खातों को हल करने के लयि बैंकों के पास अगस्त के अंत तक का समय था ।
- साथ ही, भारत की स्थापति बजिली उत्पादन क्षमता का लगभग 22% पहले ही गैर-नषिपादति संपत्तिके रूप में गनिा जाता है ।
- आरबीआई के ऑकड़ों के मुताबकि अपरैल में बजिली क्षेत्र में भारत के बैंकों का अनाश्रयता 5.19 लाख करोड़ रुपए थी ।
- इंडयिन पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ इंडयिा द्वारा दायर याचकिा के जवाब में उच्च न्यायालय ने यह आदेश दयिा ।
- अदालत ने वतित सचवि से बजिली उत्पादकों की 'शकिायत पर वचिार' करने के लयि कहा और यह भी कहा कऱि समस्या का कोई समाधान संभव है या नहिी, इसपर वचिार कयिा जाए।
- खंडपीठ ने तनावग्रस्त ःण के संबंध में मार्च 2018 में प्रस्तुत ऊर्जा पर स्थायी समतिकी 37वीं रपिरट में कयि गए एक अवलोकन को भी संदर्भति कयिा ।

बैठक को रोक दयिा जाना

- एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर के अनुसार, नए आरबीआई मानदंडों के कारण 70,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता को ःणशोधन के खतरे का सामना करना पड़ता है ।
- हाल ही में बजिली क्षेत्र में तनावग्रस्त ःण को हल करने के तरीकों को खोजने के लयि बजिली मंत्रालय, आरबीआई और उधारदाताओं की बैठकें दो बार रद्द कर दी गई हैं।
- बजिली क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लयि सरकार और नयिामकों द्वारा कयि गए उपायों में 8-12 महीने लग सकते हैं, अतः बैंकों द्वारा उत्पादकों को अधिक समय देने की जरूरत है ।
- उपरोक्त उद्धृत संसदीय रपिरट में कहा गया है कऱि बजिली क्षेत्र दबाव में है ।
- हज़ारों मेगावाट वाले संयंत्र गंभीर वतितीय तनाव में हैं और वर्तमान में एसएमए-1 या 2 चरण या एनपीए बनने के कगार पर हैं।
- यह ईंधन की कमी, सब-ऑप्टीमल लोडगि, अप्रत्याशति क्षमताओं, FSA की अनुपस्थति और PPA की कमी आदिके कारण है ।
- इन परयोजनाओं को राष्ट्रीय जरूरतों और बजिली की मांग के साथ सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर शुरू कयिा गया था ।

